तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/8/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु.। पत्रावली वास्ते आदेश बाबत उपस्थिति अप्रार्थी एवं अस्थायी प्रा०पत्र दिनांक 24/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
24/9/25	वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण अनु.। अप्रार्थीगण को न्याया. समय पर क्रम. 2 कर आवाज दिलायी गयी। पैरवी हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अतः अप्रार्थी सं. 1 लगा० 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दि. 3/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
3/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा. उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 17/11/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)
17/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा. उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16/12/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)
16/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। बहस उभयपक्ष सूनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि खाता सं0 नया 490 पुराना 428 भूमि ख0सं0 1938 रकबा 4.5810 हैक्टे0 वाके ग्राम देहित पटवार हल्का देहित भू0अ0निरी0 देहित तह0 तालेडा में प्रार्थी क्र. 1 का 14251/67200 हिस्सा, प्रार्थी क्रम 2 का 10/283 हिस्सा एवं प्रार्थी क्रम 3 का 9/32 हिस्सा निहित है जो प्रार्थीगण की खरीदशुदा आराजी जिसका प्रार्थीगण के पक्ष मे नामान्तकरण होकर उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। किन्तु उक्त भूमि का पक्षकारान् के मध्य बटवारा नही हुआ है। प्रार्थीगण उक्त वाद विषयक भूमि का विधिवत रूप से बटवारा करवाकर अपने हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों को पृथक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से दर्ज करवाना चाहते है। जो कृषि भूमि जिस पक्षकार के हिस्से में आवें उसका कब्जे में रद्दोबदल करवाये तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमियों का बिना बटवारा किये रहन, बेचान व अन्तरण नही करे। यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे बिना (हस्ताक्षर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

बटवारा करवाये ही उक्त कृषि भूमियों को रहन व बेचान कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नही हो सकेगी। अतः अप्रार्थीगण को ताफेसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को बेचान, रहन अथवा अन्य प्रकार से अन्तरण नही करें, पंजीयन नहीं करावे, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे, ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार की भूमि पर है जिस पर प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण काबिज कास्त है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में कोई दखलंदाजी की हो।ऐसी स्थिति में सहखातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।